संख्या– 785 जेड/6–सा–1–14–4जी/2014

प्रेषक,

अखिलेश चन्द्र गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ एवं सेवा सदन, मथुरा के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम चार माह के लिए के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ एवं सेवा सदन, मथुरा के कार्यालय अधिष्ठान हेतु आय–व्ययक में लेखानुदान द्वारा कुल प्राविधानित धनराशि **रू0 22,38,000/– (रू0 बाइस लाख अड़तीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

लेखा शीर्षक/मद	स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या–28 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–200–अन्य योजनायें– 03–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	
01–वेतन	800
02–मजदूरी	10
03–मंहगाई भत्ता	840
04–यात्रा व्यय	8
06–अन्य भत्ते	85
07–मानदेय	8
08–कार्यालय व्यय	20
09–विद्युत देय	150
10–जलकर/जल प्रभार	16
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	16
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10
13–टेलीफोन पर व्यय	8
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	16
29–अनुरक्षण	66
39–औषधि तथा रसायन	10
41–भोजन व्यय	143
42–अन्य व्यय	3
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	3
45–अवकाश यात्रा व्यय	5
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	–
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	–
49–चिकित्सा व्यय	21
51–वर्दी	–
योग	2238

(रू0 बाइस लाख अड़तीस हजार मात्र)

क्रमशः–2

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी ओदशों के अनुसार किया जोयगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भाविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाये।

3– वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–28 के लेखा शीर्षक "2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–200–अन्य योजनायें–03–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795/ दस–2014–231/2014, दिनांक–14 मार्च, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**अखिलेश चन्द्र गुप्ता**)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 785 (I)जेड/6–सा–1–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदरी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट–प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15–थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–1
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
8– आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9– अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ।
10– इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नेटसेल, मुख्य भवन, लखनऊ।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**अखिलेश चन्द्र गुप्ता**)
संयुक्त सचिव।